250th Rajya Sabha Session

Rajya Sabha is the Upper House of Parliament of India, which sagaciously supports democracy, best parliamentary practices and contributes towards nation building under the Chairmanship of the Vice - President of India.

Historically speaking, Bicameral Central Legislature in India came into existence as per the provisions of the Government of India Act, 1919 and was inaugurated in 1921 consisting of the Governor-General and two Houses, namely, the Council of States and the Legislative Assembly. Subsequently, the Legislative Assembly was renamed as the House of Assembly under the Government of India Act, 1935. The bicameral arrangement continued till 1947. The Constituent Assembly debated on various aspects from 1946 to 1950 and *inter alia* decided on a bicameral Central Legislature in India. The Rajya Sabha and the Lok Sabha together with the President of India constitute 'Parliament of India'. The Council of States was renamed as Rajya Sabha in the year 1954. As per Constitution of India, the strength of the Rajya Sabha has been fixed at a maximum of 250 members, including 12 nominated members. Unlike the Lok Sabha, the Rajya Sabha is a permanent body, but one-third of its members retire every two years. Members are elected through indirect election, with the idea that the opinion cannot be swayed based on populist demands.

The supreme role of Rajya Sabha is legislation. Apart from this, Rajya Sabha also has a representational role and to hold Government accountable for its action or inaction. It performs judicial functions also for the impeachment of President and removal of Judges. It has a special privilege to legislate on State Subjects and All India Services. However, it has a limited role in the matters of Money Bill *vis-a-vis* Lok Sabha. Rajya Sabha plays an important role as a revising chamber. It has proposed numerous amendments to legislations which have eventually been adopted. As a federal chamber, it endeavours to remain sensitive to aspirations of the States and thus strengthens the country's federal fabric.

Parliamentary Committees play a vital role in the Parliamentary System. Rajya Sabha possesses an organised system of Committees. They are a vibrant link between the Parliament, the Executive and the general public. At present, there are 12 Parliamentary Standing Committees and 24 Department Related Parliamentary Standing Committees. Out of 24 Department Related Parliamentary Committees, 8 are under the direct control of Rajya Sabha. The Committees provide expertise on a matter and the public is directly or indirectly associated, which helps the Committees in arriving at the conclusions. The Committees have functioned in a non-partisan manner and their deliberations and conclusions have been objective.

Parliament sessions are convened by the President for conduction of legislative functions and business of the House. The President has the power to summon and prorogue either or both the Houses of Parliament. The Parliament normally meets over three sessions in a year.

Since the first session of the Rajya Sabha on 13th May, 1952, Rajya Sabha has conducted 249 sessions. This house has effectively discharged the role mandated by the Constitution. Apart from legislation, it has constructively deliberated and influenced policies of the Government and provided an environment for ventilation of public grievances. These responsibilities were discharged by Rajya Sabha through various time-tested procedural mechanisms and by introducing new procedures.

During the 249 Sessions that Rajya Sabha held so far, it has played a constructive and effective role. Its performance in the legislative field and in influencing the Government policies has been quite significant. Rajya Sabha has worked for the unity and integrity of the nation and has reinforced the faith of the people in a democracy.

Department of Posts is pleased to issue a Commemorative Postage Stamp to mark the 250th Rajya Sabha Session.

Stamp/ FDC/ Brochure	:	Sh. Suresh Kumar
Cancellation Cachet	:	Smt. Nenu Gupta
Text	:	Based on information received from the proponent

250वां राज्य सभा सत्र

राज्य सभा भारतीय संसद का उच्च सदन है, जो दक्षता से लोकतंत्र तथा सर्वोत्तम संसदीय पद्धतियों को कायम रखने में सहायक है और यह भारत के उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है।

यदि हम राज्य सभा का इतिहास देखें तो, भारत में द्विसदनीय केन्द्रीय विधायिका भारत सरकार अधिनियम, 1919 के प्रावधानों के अनुसार अस्तित्व में आई और इसका शुभारंभ 1921 में हुआ जिसमें गवर्नर–जनरल और दो सदन, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और विधान सभा शामिल थे। बाद में विधान सभा का नाम भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत पुनः विधान सभा रखा गया। द्विसदनीय व्यवस्था 1947 तक जारी रही। संविधान सभा ने 1946 से 1950 तक विभिन्न पहलुओं पर बहस की और अन्य बातों के साथ–साथ भारत में द्विसदनीय केन्द्रीय विधान मंडल का निर्णय लिया। राज्य सभा और लोक सभा, भारत के राष्ट्रपति सहित 'भारतीय संसद' का निर्माण करते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का वर्ष 1954 में राज्य सभा के रूप में पुनः नामकरण किया गया। भारत के संविधान के अनुसार राज्य सभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 निर्धारित की गई है जिसमें 12 नाम निर्देशित सदस्य शामिल हैं। लोक सभा के विपरीत राज्य सभा एक स्थायी संस्था है, किंतु इसके एक–तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है, जिसके पीछे यह विचार रहता है कि लोक लुभावन मांगों के आधार पर मत को प्रभावित न किया जा सके।

राज्य सभा की सर्वोच्च भूमिका है विधान निर्माण। इसके अलावा राज्य सभा की प्रातिनिधिक भूमिका भी होती है और यह सरकार को इसके कार्यों अथवा निष्क्रियता के लिए जवाबदेह भी ठहराती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने तथा न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए यह न्यायिक कार्य भी करती है। राज्य संबंधी विषयों तथा अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में कानून बनाने का इसका विशेष अधिकार है। तथापि लोक सभा की तुलना में धन विधेयक संबंधी मामलों में इसकी सीमित भूमिका है। पुनरीक्षण कक्ष के रूप में राज्य सभा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसने कानूनों में अनेक संशोधन प्रस्तावित किए हैं, जिन्हें अंततः स्वीकार कर लिया गया है। संघीय सभा के रूप में इसका प्रयास राज्यों की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील बने रहने का होता है और इस प्रकार यह देश के संघीय ढांचे को सुदृढ़ करती है।

संसदीय समितियां संसदीय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य सभा के पास समितियों की संगठित व्यवस्था है। ये समितियां संसद, कार्यपालिका तथा आम लोगों के बीच एक जीवंत और गतिशील संपर्क सूत्र हैं। वर्तमान में बारह संसदीय स्थायी समितियां और चौबीस विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियां हैं। चौबीस विभाग संबंधित संसदीय समितियों में से आठ समितियां राज्य सभा के सीधे नियंत्रण के अधीन हैं। ये समितियां लोगों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित मामले पर विशेषज्ञता प्रदान करती हैं जो समितियों को निष्कर्षों पर पहुँचने में सहायता प्रदान करता है। समितियां गैर–दलगत रूप से कार्य करती हैं और उनके विचार–विमर्श और निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ होते हैं।

संसद सत्रों को राष्ट्रपति द्वारा सभा के विधान कार्यों के संचालन के लिए बुलाया जाता है। राष्ट्रपति के पास संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों को बुलाने की और सत्रावसान करने की शक्ति होती है। सामान्यतः एक वर्ष में संसद के तीन सत्र होते हैं।

13 मई,1952 को राज्य सभा के प्रथम सत्र से लेकर अब तक इसके 249 सत्र हो चुके हैं। राज्य सभा ने इसे संविधान द्वारा अधिदेशित की गई भूमिका को प्रभावपूर्ण ढंग से निभाया है। विधान निर्माण कार्य के अलावा इसने रचनात्मक रूप से सरकार की नीतियों पर विचार–विमर्श किया है और उन्हें प्रभावित किया है तथा साथ ही लोक शिकायतों के निराकरण के लिए भी वातावरण तैयार किया है। राज्य सभा द्वारा इन दायित्वों का निर्वहन समय की कसौटी पर जाँची–परखी विभिन्न प्रक्रियात्मक कार्यविधियों द्वारा और नई प्रक्रियाओं को लागू करके किया गया है।

राज्य सभा के अब तक आयोजित 249 सत्रों के दौरान इसने रचनात्मक और प्रभावपूर्ण भूमिका निभाई है। विधायी क्षेत्र में इसका कार्य निष्पादन तथा सरकारी नीतियों को प्रभावित करने में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। राज्य सभा ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए कार्य किया है और लोकतन्त्र में लोगों के विश्वास को पुनः प्रबलित किया है।

डाक विभाग, राज्य सभा के 250वें सत्र पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आभार :

डाक टिकट / प्रथम दिवस आवरण / सूचना विवरणिका : श्री सुरेश कुमार

विरुपण कैशे : श्रीमती नीनू गुप्ता

पाठ : प्रस्तावक से प्राप्त सूचना पर आधारित

भारतीय डाक विभाग
DEPARTMENT OF POSTS
INDIA

तकनीकी आंकड़े
TECHNICAL DATA

मूल्य वर्ग	:	500 पैसे
Denomination	:	500 p
मुद्रित डाक टिकटें	:	617000
Stamps Printed	:	617000
मुद्रण प्रक्रिया	:	वेट ऑफसेट
Printing Process	:	Wet Offset
मुद्रक	:	प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद
Printer	:	Security Printing Press, Hyderabad

The philatelic items are available for sale at http://www.epostoffice.gov.in/PHILATELY_3D.html

मूल्यः ₹ 5.00